

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2015

S.O.------(E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Gujarat State Council for Blood Transfusion', a trust constituted by the Government of Gujarat, in respect of the following specified income arising to the said trust, namely :-

- (a) grants from Government of Gujarat and the Government of India;
- (b) donations; and
- (c) income arising or by way of interest.

2. The Notification shall be effective subject to the conditions that Gujarat State Council for Blood Transfusion:-

- (a) the trust does not engage in commercial activity;
- (b) the activities of the trust and the nature of the specified income derived remain unchanged throughout the financial years ; and
- (c) the trust files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.

(Notification No. 6 /2015 F.No.196/21/2013-ITA.1)

Deepshikha

(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms Relele

20/1/15

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015

अधिसूचना

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए "गुजरात स्टेट काउंसिल फार ब्लड ट्रांसफ्युजन जोकि गुजरात सरकार के द्वारा गठित एक न्यास हैं, को उक्त न्यास को होने वाली विनिर्दिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:-

- (क) गुजरात सरकार और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) दान; और
- (ग) ब्याज से या इसके माध्यम से उद्भूत आय;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि:-

- (क) यह न्यास किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
- (ख) इस न्यास के क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
- (ग) यह न्यास उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के उपबंध के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना संख्या6...../2015 फा.सं. 196/21/2013-आ.का.नि-।]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।